न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश कम–1, राजगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारीः मुनेश चंद यादव आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी संख्या 56/2026

सी.एन.आर नं.– RJCH060002232026

करण उर्फ करणी उर्फ लोडिया पुत्र ओमप्रकाश उर्फ मनोज उम्र 21 साल निवासी वार्ड नं. 19 रामबास मोहल्ला राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू

– प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, राजगढ़ जिला चूरू।

प्रार्थना पत्र बाबत जमानत अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस

सेशन प्रकरण सं0 17/2025 सरकार बनाम करण उर्फ करणी आदि

उपस्थितः–

श्री विक्रम सिंह, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त

श्री सुनील जांगिड, अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य

आदेश दिनांकः– 16.03.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन धारा 483 बीएनएसएस के तहत पेश किया गया, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली के अनुसार अभियुक्त के इस न्यायालय में लंबित सेशन प्रकरण संख्या 17/2025 में अनुपस्थित हो जाने से दिनांक 08.01.2026 को उसके जमानत मुचलके जब्त कर उसे गिरफतारी वारंट से तलब किया गया था।

2– प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का बहस के दौरान यह तर्क रहा कि अभियुक्त मजदूरी पेशा व्यक्ति होने के कारण मजबूरीवश न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया। प्रार्थी जानबूझकर अनुपस्थित नहीं हुआ है तथा वह परिवार में अकेला कमाउ व्यक्ति है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जावे। जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया।

3– उभयपक्ष के तर्क–वितर्को पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपनी अनुपस्थिति का कारण मजदूरी पेशा व्यक्ति होने के कारण

न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकना बताया है, जो संतोषजनक कारण प्रकट आता है। प्रार्थी को गिरफतारी वारंट की पालना में दिनांक 09.03.2026 को गिरफतारी वारंट की पालना में न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर उसे अभिरक्षा में प्रेषित किया गया। प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने धारा 446 दं0प्र0सं0 की पालना कर दी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणवगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

4— अतः प्रार्थी/अभियुक्त करण उर्फ करणी उर्फ लोडिया पुत्र ओमप्रकाश उर्फ मनोज उम्र 21 साल निवासी वार्ड नं. 19 रामबास मोहल्ला राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू का जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस न्यायालय के संतोषप्रद अपनी नियमित उपस्थिति बाबत 50,000/— रूपये का निजी मुचलका और 25,000—25,000 रूपये की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसें इस प्रकरण में जमानत पर छोड दिया जावे।

(मुनेश चंद यादव)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम—1
राजगढ (चूरू)

5— आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश चंद यादव)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम—1
राजगढ (चूरू)